Title: Re: Problems faced by people of Darjeeling, Terai and Duars region and issue of infiltration.

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): धन्यवाद सर। मैं बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं इस समय दार्जिलिंग, तराई और डूअर्स की बात करना चाहता हूं। आजादी के बाद हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार होता रहा। वर्ष 1861 नॉन रेग्युलेटेड एरिया, फिर रेग्युलेटेड एरिया, उसके बाद वर्ष 1870 से 1874 तक नॉन रेग्युलेटेड एरिया, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड ट्रैक्ट, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया होते-होते आकर वर्ष 1956 में अब्जॉर्ब्ड एरिया लॉ के अंतर्गत यह पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना। तब से अत्याचार, अन्याय और भेदभाव होता रहा है। क्षेत्र में लोकतंत्र गायब है। पिछले 16 सालों से पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। भारत के संविधान में 243(एम) के अंतर्गत हिल काउंसिल को मान्यता दी गयी। हिल काउंसिल के बजाय वहां पर जीटीए का शासन चल रहा है। घुसपैठिए भारी संख्या में आ गए हैं। हम लोग अल्पसंख्यक हो रहे हैं। हमारा अधिकार कोई और ले जा रहा है। जब भी हम अधिकार की बात करते हैं, तो हमें पीटा जाता है। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं।

सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में स्थायी राजनीतिक समाधान हो, लोगों की भावनाओं के अंतर्गत हो और भारतीय संविधानुसार हो। इसके साथ ही जो गोरखा हैं, उनका आइडेंटिटी क्राइसिस समाप्त हो तथा राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में काम हो।

सर, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि टीएमसी ने अभी हाल ही में असेंबली में एक रेजोल्यूशन लेकर आयी है कि अलग राज्य नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता है कि यह अधिकार भारत सरकार का है। आर्टिकल 2 और 3 हमारे लोगों को अपनी बात रखने का स्वतंत्र अधिकार देता है। टीएमसी संविधान से बड़ा नहीं हो सकता और ममता बनर्जी टीएमसी से बड़ी नहीं हो सकतीं, अत: मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, प्राइवेट मेंबर्स बिल का समय हो गया है। कुछ माननीय सदस्य अभी शून्य काल में बोलना चाहते हैं। अत: शून्य काल के समय को बढ़ाया जाता है। उसके बाद प्राइवेट मेंबर्स बिल को लिया जाएगा।

? (व्यवधान)